

राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक:प.16(1)वि.मा./2020

जयपुर, दिनांक ०८ फरवरी, 2021

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2021/845 दिनांक 01.02.2021 एवं अधिसूचना संख्या एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2021/962 दिनांक 04.02.2021 द्वारा राज्य के झुझुनू जिले की नगरपालिका विद्याविहार के आम चुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान के झुझुनू जिले की नगरपालिका विद्याविहार के उक्त चुनाव हेतु मतदान होने की स्थिति में दिनांक 20.02.2021 (शनिवार) को संलग्न कार्यक्रम के अनुसार मतदान क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) 1881 के तहत अवकाश रहेगा, ताकी उस क्षेत्र के मतदाता मतदान कर सकें।

राज्यपाल की आज्ञा से



(शरद मेहरा)

निदेशक (बजट)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

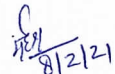
(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

E-mail : secraj@rajasthan.gov.in, Ph. Fax : 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/2021/ 1048

दिनांक 08/02/2021

प्रतिलिपि : जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)(नगरपालिका) झुझुनू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



(महेश चन्द्र यादव)

सचिव